न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 116/2015 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2015/00227

उनवानी :–

1– सुगनी पुत्र रामप्रसाद जाति गोला ठाकुर निवासी ग्राम गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट––––––––––––

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर

रेस्पो0––––––

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 20.07.2015 मु0न0 219/2011

उनवानी सुगनी बनाम राज. सरकार

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन

2– वकील रेस्पो0 श्री रवीन्द्र सिंह फौजदार(राजकीय अधिवक्ता)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 03.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 918 रकवा 0.18 बीघा वाके ग्राम गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है जिस स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार

नहीं किया हैं। अपीलार्थी पूर्व खसरा नम्बरान 918 मिन एवं 920 मिन में 1/3 हिस्से का खातेदार था जिसका रकवा 0.16 है0 होता है बंदोबस्त विभाग ने हाल खसरा न0 1203/0.05,1206/0.05 किता 2 रकवा 0.10 है0 वाके ग्राम गोलपुरा में निर्मित किये गये है जो कि साविक से कम हैं इसी प्रकार साविक खसरा न0 917 मिन रकवा 6 बीघा 7 विस्वा से हाल खसरा न0 1204/0.23, 1205/0.12,1225/1.01 किता 3 रकवा 1.36 है0 बनाये है जो कि 34 एयर अधिक है। पटवारी/तहसीलदार नें भी दि0 25.6.08 को रिपोर्ट पेश कर वादी अपीलार्थी का रकवा कम व प्रतिवादी का रकवा वेशी होना अंकित किया है। अतः अपीलार्थी के रकवे की पूर्ति साबिक ख0न0 917 निर्मित खसरा न0 1204/0.23, 1205/0.12,1225/1.01 से की जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी नें निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय नें सही विवेचन करके निर्णय पारित किया है, अतः अपील खारिज की जावे

वकील उभय पक्ष की बहस एवं रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी बंदोबस्त से पूर्व 19.66 विस्वा का खातेदार था एवं महकमा इन्जनियरिंग 6 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार था। कायमी तनकीयात में इस आशय की कोई तनकी नहीं बनी है कि आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय नें प्रथम तनकी के विवेचन में अनावश्यक रुप से छोटे–छोटे टुकडों में विक्रय को निर्णय का आधार बनाया है साथ ही यह भी प्रकट किया है कि अपीलार्थी नें ए.एस.ओ के आदेश के विरुद्ध की गई कार्यावाही का ब्यौरा पेश नहीं किया है। अपीलार्थी का मूल वाद रकवा कमी पूर्ति का था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार तनकी न0 3 के विवेचन में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि शेष 6 एयर रकवा किस में शामिल हुआ है तनकी न0 4 की विवेचना भी तनकी के दायरे से बाहर होने के कारण चलने योग्य प्रकट नहीं होती है। अतः अपीलार्थी अपने रकवे की कमी पूर्ति का अधिकारी प्रकट होता है। नक्शे के अवलोकन से ख0न0 1204 एवं 1205 अपीलार्थी के रकवे से लगे हुए प्रकट होते है अतः अपीलार्थी को ख0न0 1205 में से 3 एयर एवं ख0न0 1204 में से 3 एयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त ख0 नम्बरान की तरमीम मौके की स्थिती को ध्यान में रखते हुए की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official